भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2611
04 अगस्त, 2026 को उत्तर के लिए

भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के लिए वैश्विक प्रमाणन

2611. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

श्री बी. के. पार्थसारथी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) 2.0 के अंतर्गत मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल (एमएससी) प्रमाणन जैसे वैश्विक प्रमाणन प्राप्त करने में भारतीय मत्स्यपालन इकाइयों की सहायता करने हेतु कितनी निधि स्वीकृत की गई है;

(ख) देशभर में ऐसी कितनी मत्स्यपालन इकाइयों को यह सहायता प्रदान की गई है तथा कुल कितनी निधि संवितरित की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत वैश्विक प्रमाणन प्राप्त करने हेतु आंध्र प्रदेश की किसी मत्स्यपालन इकाई को सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाणन कार्य पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है तथा प्रति मत्स्यपालन इकाई अनुमानित लागत कितनी है ?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ): मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार वित्त वर्ष 2020-21 से पांच वर्षों के लिए प्रमुख योजना 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) का कार्यान्वयन कर रहा है, और इस योजना को विद्यमान नियमों व शर्तों के साथ सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आईटी अनुप्रयोगों और ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके प्रमाणन, प्रत्यायन और व्यापक ट्रैसेबिलिटी प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्त पोषण करते हुए प्रमाणन और ट्रैसेबिलिटी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है । पीएमएमएसवाई (PMMSY) के तहत, छह राज्यों - आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, असम और छत्तीसगढ़ में फिश हैचरी, अंतर्देशीय फिश फार्म और मत्स्य चारा मिलों के प्रमाणन, ट्रेसेबिलिटी और प्रत्यायन के लिए कुल ₹4.50 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें से ₹1.68 करोड़ आंध्र प्रदेश सरकार के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल (एमएससी) प्रमाणन जैसे वैश्विक प्रमाणन प्राप्त करने हेतु प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत वित्तीय सहायता की मांग के संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विशेष रूप से ऐसे वैश्विक मत्स्य प्रमाणन प्राप्त करने के लिए किसी भी मत्स्य इकाई को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है। अतः इस प्रयोजन के लिए कोई निधि भी जारी नहीं की गई है।

मरीन कैप्चर फिशरीज के लिए इको-लेबलिंग और प्रमाणन योजनाएं, 'समुद्री कैप्चर फिशरीज से प्राप्त मत्स्य और मत्स्य उत्पादों की इको-लेबलिंग के लिए FAO दिशानिर्देशों' द्वारा निर्देशित होती हैं, जो टिकाऊ मात्स्यिकी प्रबंधन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिद्धांतों और मानदंडों को रेखांकित करती हैं। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI) और ICAR-केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (ICAR-CMFRI) समय-समय पर स्टॉक का आकलन और संसाधनों की निगरानी करता हैं, जो टिकाऊ मात्स्यिकी प्रबंधन और विश्वसनीय प्रमाणन पहलों के लिए आवश्यक वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं। PMMSY के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग ICAR-CMFRI द्वारा येलोफिन टूना स्टॉक के मूल्यांकन और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (FSI) द्वारा समुद्री स्तनधारी जीवों के स्टॉक के मूल्यांकन और निगरानी कार्यक्रमों जैसी रणनीतिक पहलों को सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा लक्षद्वीप के मत्स्यपालन विभाग के लक्षद्वीप पोल-एंड-लाइन स्किपजैक टूना मत्स्यिकी के लिए मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल (एमएससी) प्रमाणन प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल MSC के अतिरिक्त, भारत में एक्वाकल्चर स्टीवर्डशिप काउंसिल (ASC) और बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेज (BAP) जैसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन योजनाओं को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसके तहत कई एक्वाकल्चर फार्म, हैचरी, फीड मिल और प्रोसेसिंग यूनिट पहले ही प्रमाणित हो चुके हैं।
